

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग


क्रमांक: प.9(133)राज-6/ 2015 ||

जयपुर, दिनांक 04/01/16

अधिसूचना


राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (राजस्थान अधिनियम सं० 15, वर्ष 1956) की धारा 26 की उप धारा (1) सपठित धारा 260 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत बने नियमों के अन्तर्गत जिला बांरा जहां भू-प्रबन्ध कार्य चल रहा है वहां सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, सदर मुन्सरिम द्वारा सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला बांरा के सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(डॉ कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान ।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ।
3. जिला कलक्टर, बांरा ।
4. उपनिवेशन आयुक्त, राजस्थान बीकानेर ।
5. भू-प्रबन्ध आयुक्त, राजस्थान जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
7. निर्देशक, हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर ।
8. निर्देशक, जन सम्पर्क निर्देशालय, जयपुर ।
9. अधिक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को दिनांक..... के राज० गजट में प्रकाशनार्थ ।
10. आल परपज रेवन्यु ट्रेनिंग स्कूल, टोंक ।
11. राविरा, राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ।
12. राजस्व अपील अधिकारी, बांरा ।
13. संबंधित अधिकारी ।
14. रक्षित पत्रावली ।


संयुक्त शासन सचिव